न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

चतराराम पुत्र सकाराम जी, जाति- मीणा, निवासी-केसरपुरा, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 02/2019

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री आनन्द देव सुमन, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 146/2018 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 04.2.2019 बाबत ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429 रकबा 0.03 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429 रकबा 0.03 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित करने में काननून भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन व विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पिता सकाराम पुत्र वेलाजी मीणा, निवासी- केसरापुरा के स्वामित्व हक अधिकार की आवासीय पट्टेशुदा भूमि है एवं मौके पर अपीलर्थी का पुश्तैनी आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन भी लिये हुये है। यह कि विवादित भूमि का ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 को क्षेत्रफल 15080 वर्गफीट का जारी किया हुआ है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि जिसके पुराने खसरा संख्या 286/14 थे उस भूमि पर अपीलार्थी के पिता सकाराम पुत्र वेला जी का गत 50 वर्षो से आवासीय कब्जा हक अधिकार बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलार्थी अपने पिता के जरिये गत 50 वर्षो से निवास कर रहा है तथा मौके पर अपीलार्थी

.....पेज दो पर

का आवासीय मकान बना हुआ है। विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है तथा मौके पर आस-पास घनी आबादी बसी हुई है। विवादित भूमि आबादी भूमि होने से अपीलार्थी के पिता को ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने नियमानुसार मिसल संख्या 44/83-84 दायर कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पंचायत के संकल्प संख्या 3(16) दिनांक 01.10.1983 की पालना में दिनांक 12.11.1983 को राशि रुपये 1809/- रुपये व 60 पैसे जरिये रसीद संख्या 608 से प्राप्त कर पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 को क्षेत्रफल 15080 वर्गफीट का जारी किया गया है। यह कि अपीलार्थी के पिता सकाराम को ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा विवादित भूमि पर चार दिवारी निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक: 59 दिनांक 05.12.2007 को जारी किया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अपने पिता के जरिये व ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा जारी उक्त पट्टे के अनुसार वर्ष 1984 से लगातार निर्बाध रुप से आवासीय कब्जा चला आ रहा है। यह कि विवादित भूमि के आस-पास मौके पर करीब 200 लोगों के आवासीय मकानात बने हुये तथा अपीलार्थी सहित उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने मकानात में मूलभूत सुविधायें जैस विद्युत, पानी कनेक्शन आदि लिये हुये है तथा मौके पर सडक भी बनी हुई है। यह कि मौके पर घनी आबादी बसी होने से विवादित भूमि का नाप जोख व सीमाज्ञान संभव नही होते हुए भी तहसीलदार, शिवगंज ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के संबंध में मौके की सही रुप से जांच व पैमाईश करवाये बिना ही अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानने में कानूनन भूल की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि विवादित भूमि नगरपालिका, शिवगंज के परिधीय सीमा क्षेत्र में आती है व सिवायचक भूमि है जिस पर कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी अपने पिता के जरिये विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 224 दिनांक 20.5.1984 के आधार पर मौके पर काबिज है, अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है, बल्कि अपीलार्थी उक्त आवासीय पट्टे के आधार पर मौके पर अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा है तथा विवादित भूमि का आवासीय उपयोग अपीलार्थी के पिता के समय से हो रहा है, इसलिये अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकार अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। यदि विवादित भूमि बिलानाम भूमि भी है तो भी अपीलार्थी अपने वर्ष 1984 से विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर विवादित भूमि को राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार नियमन कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रूप-6) विभाग, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 9(6)राज-6/2000/पार्ट/139 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि जो राज्य सरकार में निहित है का कब्जा संबंधित ग्राम पंचायत को संभलवाकर राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429 रकबा 0.03 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि पर अतिक्रमण कर चार दिवारी का निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया।

....पेज तीन पर

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होने व नगरपालिका, शिवगंज के परिधीय क्षेत्र में स्थित होने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

.(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 428 कुल रकबा 5.05 बीघा में से रकबा 0.03 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि पर अतिक्रमण कर चार दिवारी का निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी चतराराम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी, केसरपुरा की रिपोर्ट दिनांक 02.1.2019 के अवलोकन से यह पाया गया कि विवादित भूमि राजकीय बिलानाम/सिवायचक भूमि है, जो नगरपालिका शिवगंज के परिधीय क्षेत्र में आती है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429 रकबा 0.03 बीघा किस्म खाल खद्दर राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.13 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: